



पत्रावली आज लोक अदालत में पेश हुई।  
शास्त्री पेंरोकार व आधीवत्ता अवास्थित  
तहसीलदार तिवरी की अनुशंसा पर गांव तिवरी  
के अ.नं. 172/2 रकबा 4.2087 है. में  
लिखमण पुत्र मनोहरदास के स्थान पर  
लक्ष्मण प्रसाद वैष्णव पुत्र श्री मनोहरलाल  
वैष्णव करने की अनुशंसा की। अतः  
राजस्व रेकॉर्ड में प्राप्ति का नाम लिखमण पुत्र  
मनोहरदास के स्थान पर लक्ष्मण प्रसाद वैष्णव  
पुत्र श्री मनोहरलाल वैष्णव किया जाता है।  
निर्णय पृथक् से लिखा जाकर शामिल निसल  
किया। तहसीलदार तिवरी को तहरीर जारी हो।  
पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर दाखिल पत्र है।

  
अध्यक्ष

स्थाई लोक अदालत  
गोसियां

  
सदस्य

स्थाई लोक अदालत  
गोसियां